भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 453**

**04 फरवरी, 2020**

**"गन्ना मूल्य बकाया राशि में वृद्धि"**

453. **श्री गजानन कीर्तिकर:**

**श्री बिद्युत बरन महतो:**

**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**

**श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)**: क्या सरकार को विदित है कि चीनी सीजन 2017-18 और 2018-19 के दौरान गन्ने का बम्पर उत्पादन चीनी की एक्स-मिल मूल्य की निरंतर कमी के परिणामस्वरूप हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख):** क्या यह सच है कि चीनी सीजन 2018-19 के लिए किसानों का गन्ना मूल्य बकाया राशि लगभग 28390 करोड़ रुपए के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

**(ग)**: क्या सरकार चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को चीनी की लागत और बकाया का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है;

**(घ)**: सरकार द्वारा गन्ना किसानों के संरक्षण के लिए चीनी मिलों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कितने गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है;

**(ड.)**: क्या गन्ना किसानों को बकाया भुगतान करने के लिए चीनी की कीमतों को स्थिर करने और चीनी मिलों की तरलता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(च)**: सरकार द्वारा गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने को ध्यान में रख कर क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)**

**(क):** चीनी सीजन 2017-18 और 2018-19 के दौरान गन्ने का उत्पादन क्रमश: 3799 लाख टन और 4001 लाख टन था। चीनी सीजन 2017-18 और 2018-19 के दौरान चीनी का उत्पादन क्रमश: 321.96 लाख टन और 331.30 लाख टन था जो लगभग 255 लाख टन की

घरेलू मांग की तुलना में बहुत अधिक था। चीनी सीजन 2017-18 के दौरान चीनी के अत्यधिक उत्पादन से बाजार के रुझान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जिसके कारण घरेलू बाजार में चीनी की एक्स-मिल कीमतें बहुत तेजी से गिरकर मई, 2018 में 24.50 रुपए प्रति किलोग्राम से 26 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच रहीं।

**(ख):** चीनी सीजन 2018-19 के लिए किसानों का गन्ना मूल्य बकाया अप्रैल, 2019 में 28,222 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, चीनी सीजन 2018-19 के लिए गन्ना मूल्य बकाया राशि घटकर दिनांक 27.01.2020 की स्थिति के अनुसार 2,219 करोड़ रुपए हो गई है।

**(ग) से (च):** देश में चीनी सीजन 2017-18 और 2018-19 में चीनी के अतिरिक्त घरेलू उत्पादन को देखते हुए एवं चीनी सीजन 2019-20 में भी चीनी की अतिरिक्त उपलब्धता के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रखने और चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि वे किसानों का गन्ना मूल्य बकाया चुकाने में समर्थ हों, के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

**चीनी मौसम 2017-18**

(i) दिनांक 07.06.2018 से चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) 29 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया जिसे दिनांक 14.02.2019 से बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

(ii) लगभग 430 करोड़ रुपए की गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2017-18 के दौरान चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 5.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(iii) चीनी सीजन 2017-18 में चीनी के 30 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया गया, जिसके लिए सरकार 780 करोड़ रुपए की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है;

**चीनी मौसम 2018-19**

i) गन्ने की लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी सीजन 2018-19 के दौरान चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 13.88 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

ii) चीनी सीजन 2018-19 के दौरान देश में चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभारों से संबंधित व्यय का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को लगभग 700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

iii) बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों को 7402 करोड़ रुपए की राशि के सरल ऋण प्रदान किए गए, जिसके लिए सरकार एक वर्ष के लिए 7% की दर से लगभग 518 करोड़ रुपए की ब्याज छूट का वहन करेगी।

**चीनी मौसम 2019-20**

(i) 01 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है जिसके लिए सरकार बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु 1674 करोड़ रुपए की रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

(ii) चीनी सीजन 2019-2020 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात संबंधी व्यय के लिए चीनी मिलों को 10448 रुपए प्रति टन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए 6288 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि चीनी के निर्यात को सुगम बनाया जा सके।

(iii) सरकार ने वर्तमान इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 (दिसंबर, 2019 - नवंबर, 2020) में चीनी एवं चीनी सिरप से इथनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है और सी-हेवी शीरे तथा बी-हेवी शीरे से तैयार किए गए इथनॉल और गन्ने के रस/चीनी/चीनी-सिरप से तैयार किए गए इथनॉल की लाभकारी एक्स-मिल कीमतें क्रमश: 43.75 रुपए/लीटर तथा 54.27 रुपए/लीटर और 59.48 रुपए/लीटर की दर से निर्धारित की है।

किसानों को गन्ना देय के भुगतान के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान सुनिश्चित करने और चूककर्ता मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए परामर्श-पत्र जारी करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र की एक चूककर्ता चीनी मिल को वसूली प्रमाणपत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किया है और सात चीनी मिलों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी 78 चूककर्ता चीनी मिलों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

**********